(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 48/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.06.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 26/आर/11-12.

नारायण आ. श्री भूरा माली
निवासी भरकावाड़ी तहसील व जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

गोपाल आ. श्री महोदव माली
निवासी ग्राम भरकावाड़ी तहसील व जिला बैतूल .....अनावेदक

श्री यशवंत साहू, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 18.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा खसरा नंबर 250/2 रकबा 0.085 हैक्टेयर मौजा भरकावाड़ी का आवेदक नारायण पिता भूरा से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन नायब तहसीलदार, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई। हल्का पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि खसरा नंबर 250/2 रकबा 0.085 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अनावेदक के नाम दर्ज है, जिस पर आवेदक नारायण पिता भूरा माली ने अवैध कब्जा कर रखा है। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.02.2008 को आदेश पारित कर अनावेदक को कब्जा सौंपने के आदेश दिये गये। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष दिनांक 19-8-08 को अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण 15/अ-70/09-10 दर्ज कर दिनांक 04.11.2009 को धारा 5 समयसीमा

अधिनियम के तहत अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर, बैतूल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा दिनांक 03.03.2010 को आदेश पारित कर निगरानी अस्वीकार की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18.06.2015 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 29.02.2008 स्थिर रखते हुए निगरानी अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह तृतीय निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण वैधानिक बिंदु की ओर सूक्ष्मतापूर्वक पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया कि अनावेदक ने विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में भी कई प्रकरण आवेदक के विरूद्ध प्रस्तुत किये, जिनका निराकरण आवेदक के पक्ष में निर्णीत हुआ, जिसे अनावेदक ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी। वह निर्णय जयपत्र अंतिम हो चुके है, जिससे अनावेदक पूर्णतः प्रतिबंधित है। विवादित भूमि पर आवेदक का विधिनुसार अविरत कब्जा चला आ रहा है। तत्पश्चात् भी उक्त महत्वपूर्ण बिंदु को नजर अंदाज करते हुए उक्त प्रकरण की विचाराधीन अवस्था में अनावेदक ने न्ययालय से वास्तविक स्थिति छिपाकर कब्जा प्राप्ति हेतु पृथक से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया, जबकि धारा 250 का प्रकरण विधि विरूद्ध होने से तथा पूर्व विचाराधीन प्रकरण की अवस्था में विधि की दृष्टि में अप्रचलनीय एवं असंधारणीय होने से प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य था। तत्पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में महान गंभीर वैधानिक त्रुटि की है।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण वैधानिक बिंदु की ओर भी सूक्ष्मतापूर्वक पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया कि सिविल न्यायालय तथा सक्षम न्ययालय अनुविभागीय अधिकारी ने विगत ढाई वर्षों से आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होना उल्लेख किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250-बी के अंतर्गत दो वर्ष से अधिक समय से आवेदक का कब्जा हो तो वह प्रथम दृष्टया ही धारा 250 के अंतर्गत कब्जा प्राप्ति का पात्र नहीं है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण

समय बाधित था। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य हैं।

(3) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जयपत्र आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होते हैं। इस कारण भी राजस्व न्यायालयों द्वारा एकांगी मानसिकता एवं एकपक्षीय दृष्टिकोण से सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अनावेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती दिये बगैर भी आवेदक के विरूद्ध प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश पारित करने में महान गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। अनावेदक का राजस्व न्यायालय के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु धारा 250 का आवेदन प्रथम दृष्टया समयबाधित होने से सव्यय निरस्ती योग्य है।

(4) माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन का निराकरण उदारतापूर्वक रूख अपनाते हुए विलंब क्षमा किया जाना चाहिए। विशेषत: उन परिस्थितियों में, जबकि आवेदक ग्रामीण, निरक्षर, अशिक्षित हों तथा अपील का निराकरण गुण दोषों पर किया जाना नितांत आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालयों ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को बला-ए-ताक पर रखकर साक्ष्य की विवेचना एकपक्षीय एवं एकांगी रूप से कर विवादास्पद प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश पारित कर दिया, जो न्यायसंगत नहीं है।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र किस आधार पर अमान्य किया प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश में विधिसम्मत स्पष्टीकरण नहीं है। अनावेदक द्वारा उक्त आवेदन का न तो जवाब प्रस्तुत किया और न ही शपथ पत्र, जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत अखंडित होने से आवेदन ग्राह्य किया जाना चाहिए था। तत्पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश पारित करने में महान गंभीर वैधानिक त्रुटि की है।

(6) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की परिधि में नहीं होने से भी प्रश्नधीन आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 29-2-08

के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 19-8-08 को अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र सहित लगभग 5 माह विलंब से प्रस्तुत की गई थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए निरस्त किया है कि उभय पक्षों के मध्य कई वर्षों से विभिन्न स्तरों पर विवाद चल रहा है और अपर कलेक्टर द्वारा अपील प्रकरण में पारित आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी, अतः आलोच्य आदेश की जानकारी कब्जा हटाने के समय होना मानना उचित नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानियां कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया है, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में यह तीसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-6-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर